न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2015

निगरानी 2144-II-15

115
27.4.15

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

गोविन्द प्रसाद अग्रवाल उम्र 58 वर्ष, पिता स्व० ओंकार प्रसाद अग्रवाल निवासी ग्रामपोस्ट अमदरा, तहसील मैहर, जिला सतना म०प्र० --- आवेदक

बनाम

शासन म०प्र० -------- गैरनिगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहिता सन 1959ई० विरुद्ध निर्णय श्रीमान् नायब तहसीलदार तहसील मैहर जरिये प्रकरण क्रमांक 336/2008-2009 आदेश दिनांक 30-12-08 बाबत तरमीम नक्शा आ० नं० 14/2ख 14/2क, स्थित ग्राम नागमा, तहसील मैहर, जिला सतना म०प्र०

श्री अरुण कुमार साहू एड. द्वारा आज दिनांक 27-4-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5435
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक .... को प्राप्त
26.5.15
राजस्व .... ग्वालियर

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है:-

1- यहकि निर्णय मातहत अदालत विधि एवम प्रक्रिया एवम तथ्यों तथा प्राकृतिक न्याय के विपरीत होनेसे त्रुटि पूर्ण है, जिससे निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यहकि उक्त आराजी क्र० 14/2खमे निगरानीकर्ता का कुआ बना हुआ था जो अभिलेखित था, उस कुआ को जिला सहकारी भूमि बैंक मैहर, जिला

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालिय

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2144–दो/15 जिला –सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
2.11.16	आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त अमदरा तहसील मैहर जिला सतना के प्र0 क0 03/अ–5/08–09 में पारित आदेश दिनांक 30.12.08 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदक गोविन्द प्रसाद अग्रवाल निवासी अमदरा तहसील मैहर की स्वत्व की भूमि ग्राम नौगमा में स्थित आराजी न0 14/2 ख एवं 14/2 क दिनांक 30.12.08 के द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त अमदरा द्वारा आदेश दिया गया है कि संहिता की धारा 71 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल अमदरा पटवारी प्रचलित नक्शे में लाल स्याही से तरमीम करें। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आराजी न0 14/2 ख में उप तहसील का निर्माण कार्य की तैयारी करायी गई तब आवेदक को जानकारी हुई। जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय से नकल प्राप्त कर अधिवक्ता के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की और मेमों के साथ धारा–5 का आवेदन तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।	

आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बिन्दु प्रमुख से उठाया गया है कि उपरोक्त आराजीयों का भूमिस्वामी आधिपत्यधारी आवेदक है जिस पर आवेदक का कूप स्थित है जिस कूप से आवेदक अपनी कृषि भूमियों की सिचाई कर परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आराजी न0 14/1 आवेदक के भूमि के बगल में जो म0प्र0 शासन के रूप में भूमि अभिलेख में दर्ज है किन्तु नक्शा तरमीम आवेदक के आराजी न0 14/2 ख एवं 14/2 क को नक्शे में शासन की भूमि होना दर्शाया गया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक का धारा–5 आवेदन स्वीकार किया जावे तथा आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदाय करते हुये नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों पर बल दिया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में तथ्य दर्शाये गये हैं।

5– मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा पटवारी द्वारा लेख किया गया है कि " **तरमीम मौजे के कृषकों की उपस्थिति में की गई कोई उपस्थित नहीं। अतः तरमीम प्रस्ताव आदेश हेतु श्रीमान जी की ओर प्रेषित है। हस्ता0 पटवारी दि0 29.12.08 इसी दस्तावेज पर राजस्व निरीक्षक द्वारा टीप अंकित की गई है कि पटवारी द्वारा प्रस्तुत पेन्शिल तर्मीम का प्रस्ताव लाल स्याही से करने हेतु श्रीमान नायब तहसीलदार वृत्त अमदरा न्यायालय में आदेश हेतु प्रेषित है।**"

राजस्व अधिकारियों द्वारा जो विधि के विरूिद्व तरमीम एवं सीमांकन की कार्यवाही की गई है निश्चित ही त्रुटिपूर्ण है।

"यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू–खंड संख्यांक का सीमांकन– (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू–खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। तहसीलदार के निर्देश के पालन में दिनांक 30–12–08 को राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन किया जिसपर पंचनामा एवं फील्डबुक तैयार की है। फील्डबुक पर सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों के रकबा सहित उनके भूमिस्वामियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा सीमांकित भूमि के कौन–कौन भूमिस्वामी हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, यह स्पष्ट नहीं है। 1996 आर एन 357 गीताशर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है–

"म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।"

इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – "सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।"

स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत

प्रतिपादित किये गये हैं –

"म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई–– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।"

1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता।

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह निर्विवादित है कि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पर निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाना न्यायसंगत होगा–

1. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार की भूमि का नक्शा प्राप्त करना,

2. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों/हितबद्ध पक्षकार को विधिवत व्यक्तिशः सीमांकन की पूर्व विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार सूचना दी जानी चाहिए। सूचना पत्र के निर्वहन के लिए अनुसूची –1 के नियम 11 से 14 में विहित प्रक्रिया के अनुसार सूचना देना,

यहां यह भी प्रासांगिक है कि हितबद्ध पक्षकार से आशय ऐसे व्यक्ति से होगा, जैसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016 आर एन 185 बाबा ज्ञानदास विरूद्ध तहसीलदार श्योपुर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

" भू– राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129– उपबंध के अधीन कार्यवाही – से अभिप्रेत – भूमिस्वामी या कोई व्यक्ति जो भूमि में विधिक अधिकार रखता है – हितबद्ध व्यक्ति है – व्यक्ति जो मात्र

कब्जा होने का दावा करता है – हितबद्ध पक्षकार होना नहीं माना जा सकता – ऐसे व्यक्ति को सीमांकन कार्यवाहितयों में आपत्ति करने का अधिकार नहीं।

3. सीमांकन के समय स्थल पंचनामा पर सरहदी कास्तकारों एवं गवाहों के स्पष्ट हस्ताक्षर नाम सहित,

4. रूढिवादी सीमांकन पद्धति (जरीब द्वारा) के अतिरिक्त सेटेलाईट से उपलब्धता के आधार पर विधिवत सीमांकित भूमि की माप कर सीमांए समझाना,

5. सीमांकन पश्चात फील्डबुक तैयार करना,

6. सीमांकन के समय यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उसका मौके पर निराकरण करना,

7. सीमांकन में यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हुई हो तो विधिवत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,

8. सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर तहसीलदार द्वारा एक अवसर सहमति/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करते हुये उसका विश्लेषण कर, विधिवत सीमांकन का अंतिम आदेश पारित करना।

2014 आर एन 69 बद्री प्रसाद विरूद्ध रामप्रसाद जाटव में राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिमत व्यक्ति किया है कि सटे हुए कृषकों को सूचना के साथ–साथ सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। सभी सरहदी कास्तकारों को पृथक से सूचना नहीं दी गई है। पंचनामा पर सभी सरहदी कास्तकारों के हस्ताक्षर हैं इसका भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन आदेश को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अतः सीमांकन आदेश दिनांक 30–12–08 निरस्त किया जाता है तथा नायाब तहसीलदार

अमदरा को निर्देशित किया जाता है कि सीमावर्ती कृषकों को सूचना एवं सुनवाई तथा साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये, नियमों के परिपालन में विधिवत सीमांकन करने हेतु प्रकरण नायब तहसीलदार अमदरा को प्रत्यावर्तित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य